

मध्यप्रदेश विधेयक  
क्रमांक ३६ सन् २०२१

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२१

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है. संक्षिप्त नाम.

२. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) की धारा ११ में, उपधारा (३) में प्रारंभिक पैरा तथा प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारंभिक पैरा तथा प्रथम परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :- धारा ११ का संशोधन.

“कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकेगा और पांच वर्ष की और कालावधि हेतु या वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक के लिए कुलपति का पद धारण नहीं करेगा.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कुलपति की पदावधि चार वर्ष से पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए, जो चार वर्ष से पांच वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी किन्तु जो कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) की धारा ११ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे कि यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधिनियमों के उपबंधों के समान हो सके.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : २० दिसम्बर, २०२१.

प्रेम सिंह पटेल  
भारसाधक सदस्य.

## उपाबंध

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) से  
उद्धरण.

\* \* \* \* \*

धारा ११ (१) एवं (२) \* \*

धारा ११ (३)—में कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकेगा और पांच वर्ष की और कालावधि हेतु या वह ७० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक के लिए कुलपति का पद धारण नहीं करेगा.

\* \* \* \* \*

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.